नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर)
(आयोजना प्रकोष्ठ)

क्रमांक :– एफ 13 ( ) उपा.आयो. / ननिज. / 2024 / 08 दिनांकः– 13.01.2025

मैसर्स उपासना इन्फ्रा एल.एल.पी.,
पता–उपासना हाउस, बी–70,
राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर।

विषय :– भूखण्ड सं : ए–22, मोती डूंगरी, तिलक नगर, जयपुर के बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स (11 निवास ईकाई) भवन निर्माण स्वीकृति बाबत।

भवन अनुज्ञा एवं संकर्म समिति की बैठक दिनांक 05.12.2024 के प्रस्ताव संख्या 02 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में भू.स. ए–22, मोती डूंगरी, तिलक नगर, जयपुर, क्षेत्रफल 1567.20 व.ग. आवासीय (फ्लैट्स) बी+एस+11 तल उंचाई (0.45 मीटर प्लिंथ+4.45 मी. स्टील्ट+35.2मी.) भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तो के साथ अनुमोदित कर जारी किये जाते है :–

1. उक्त स्वीकृति जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम 2020 के तहत जारी की गई है।
2. भवन विनियम, 2020 के अनुसार उक्त स्वीकृति जारी दिनांक से सात वर्ष या लीज डीड में उल्लेखित अवधि जो भी कम हो के लिए मान्य होगी।
3. उक्त स्वीकृति निम्नानुसार दी गई है :–

(1)	(2)
सैट बैक (न्यूनतम)	**स्वीकृत मानचित्र अनुसार**
अग्र प्रथम (दक्षिणी ओर)	12.19 मी.
अग्र द्वितीय (पश्चिमी ओर)	8.8 मी.
साइड	8.8 मी.
पीछे	8.8 मी.
ऊँचाई	(0.45 मी. प्लिंथ+4.45 मी. स्टील्ट+35.2 मी.)
मंजिल	बेसमेंट+स्टिल्ट+11 तल
बेसमेंट	प्रस्तावित है
आच्छादन	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर
बी.ए.आर	3.71
ग्रीन एरिया	10.13 प्रतिशत

4. नगर निगम ग्रेटर, जयपुर द्वारा निर्माण स्वीकृति को स्वामित्व का आधार नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व संबंधी अधिकार ही प्रभावित होंगे एवं विवादित स्वामित्व की भूमि पर दिये गये निर्माण स्वीकृति के लिए जयपुर नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि निर्माण स्वीकृति केवल मात्र प्रश्नगत भूमि पर क्या निर्माण किया जा सकता है, अथवा अनुज्ञेय है, यही दर्शाता है।
5. भवन निर्माण में निर्धारित मानदण्डों के उल्लंघन होने या निर्माण मानक स्तर के अनुरूप नहीं होने पर निर्माण को रोका जा सकता है। इसे आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त कराया जा सकेगा एवं ऐसे समस्त निर्माण की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी। अनुमोदित मानचित्रों से भिन्न निर्माण करने पर अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जावेगा व किया गया या समस्त निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में गिना जावेगा।

RajKaj Ref No.: 12950853

6. भवन का उपयोग स्वीकृत उपयोग से भिन्न होने पर निर्माण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
7. गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त होने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा। नगर निगम, जयपुर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत् कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।
8. विद्युत, नलकारी जल एवं मल निकास सेवायें हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड इण्डिया के आबंधों में वर्णित प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
9. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या 1554/2004 (गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार) के सम्बन्ध में दिया गया निर्देश दिनांक 12.01.2017, 08.08.2017, एवं 14.10.2017 एवं राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित की जावेगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. आप द्वारा लेबर सेस की प्रतिवर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।
12. विनियमोंनुसार सौर ऊर्जा उपकरण सिस्टम मौके पर आवश्यक रूप से पालना सुनिश्चित की जावेगी।
13. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2 (x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओं यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएं, वातानुकूलन सेवाएं आदि से सम्बन्धित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किए गए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चरर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रेक्टचर इंजिनियर से प्रमाणित किए हुए, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
14. भवन मानचित्र जारी करने के पश्चात् अधिकतम 90 दिवस की अवधि में संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चर डिजाईन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अथवा विनियम–19 व 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में प्रस्तुत की जानी होगी।
15. नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन के Common Telecom Infrastructure (CTI) एवं आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rascue Device) सिस्टम का प्रावधान किया जाना आवश्यक होगा।
16. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सड़कों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
17. भवन निर्माण में आंतरिक मानदण्ड बाबत् जिन विषयों पर ब्यौरा यहां नहीं दिया गया है, उन बाबत् मानदण्ड नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगें।
18. ग्रीन कवरेज को बढ़ावा देने के लिए भूखण्ड के आगे 6.00 मीटर उंचाई से छायादार वृक्ष लगाए जाने की सुनिश्चितता की जानी है।
19. भवन का संरचनात्मक अभिकल्पन एवं सुरक्षा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगा।
20. आवेदक स्वयं की यह जिम्मेदारी होगी कि उनके द्वारा भवन विनियमों के समस्त संबंधित प्रावधानों की पालना भवन निर्माण के दौरान की जा रही है। अन्यथा यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।
21. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2020 के विनियम 12.15 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी। भवन परिसर में आगन्तुकों की पार्किंग करवायी जाये तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
22. भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी मौके पर प्रदर्शित (Display) करवाया जाना आवश्यक होगा।
23. बेसमेन्ट में पर्याप्त वातायन एवं रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी एवं ज्वलनशील पदार्थ या हानिकारक माल के भण्डार हेतु या अन्य कोई गतिविधि जो कि भवन में रहने वालों के लिये परिसंकट मय या हानिकारक हो, के उपयोग मे नहीं करेगा।

24. भवन मालिक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह भवन का निर्माण प्रारंभ होने पर बिल्डिंग का नक्शा, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) मौके पर उपलब्ध करवायेगा। मौके पर जिम्मेदार व्यक्ति से सम्पर्क हेतु उसका सम्पर्क दूरभाष नम्बर बोर्ड पर साईड पर उपलब्ध करवाया जायेगा एवं सम्बन्धित दूरभाष नम्बर सम्बन्धित थाने में भी उपलब्ध करवाया जावेगा, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किया जा सके।
25. प्रार्थी द्वारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की सभी शर्तों की पालना की जावेगी।
26. निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र क्रमांक एफ 55 (22) पीए/एस.ई./डीएलबी/05/आपदा/18726 दिनांक 18.05.05 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार भूकम्परोधी भवन बनाने की जिम्मेदारी प्रार्थी की होगी।
27. भवन निर्माण के दौरान श्रमिकों हेतु अस्थाई शौचालय/यूरीनल की व्यवस्था आपके स्तर से सुनिश्चित की जावें।
28. भवन विनियम के अनुसार भूखण्ड पर कचरा पात्र रखना होगा।
29. भवन विनियमोनुसार हरित क्षेत्र एवं वृक्षों का प्रावधान किया जाना होगा।
30. भवन विनियम, 2020 के बिन्दु संख्या 10.11.1 के अनुसार राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 73 (c) Provision of Rain Water Harvesting के प्रावधानों की सुनिश्चित्ता की जानी होगी।
31. भवन विनियम, 2020 के बिन्दु संख्या 10.11.2 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग के प्रावधानों की सुनिश्चित्ता की जानी होगी।
32. RERA ACT एवं Rules, Apartment Ownership Bill एवं Rules के समस्त प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।

संलग्नः- भवन मानचित्र का एक सैट
(कुल 12 मानचित्र)

उपायुक्त आयोजना (प्रथम)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. उपायुक्त, मालवीय नगर जोन, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर को अनुमोदित भवन मानचित्रों का एक सैट संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
   संलग्न :- भवन मानचित्र का एक सैट
   (कुल 12 मानचित्र)

उपायुक्त आयोजना (प्रथम)
नगर निगम ग्रेटर, जयपुर

Document certified by ASHOK KUMAR SHARMA <ashoksharma993@gmail.com>.

Digitally Signed by Ashok Kumar Sharma I
Designation : Deputy Commissioner
Date :13-01-2025 03:15:17

RajKaj Ref No.: 12950853

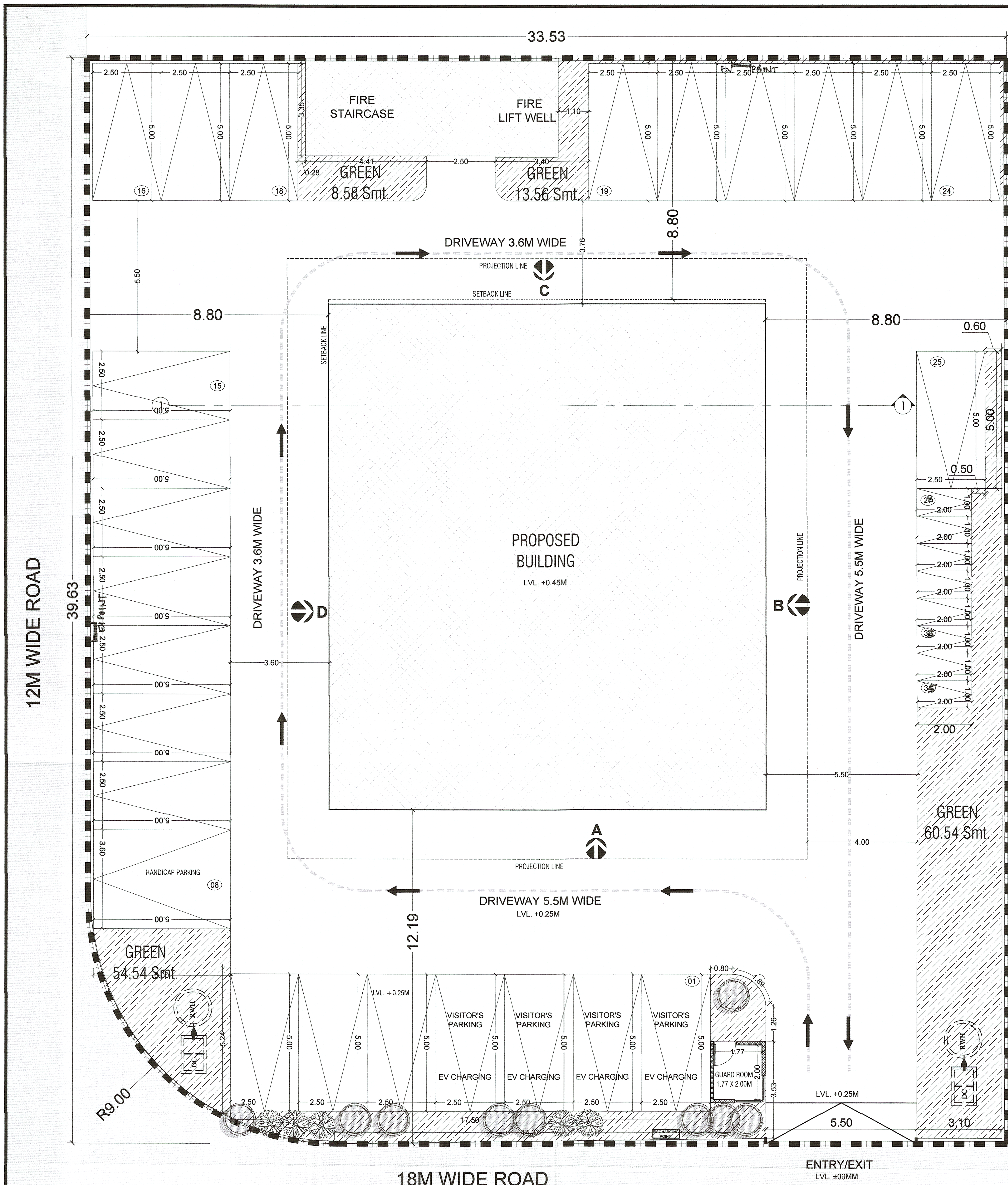

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्र. 08
दि. 13-01-25 के द्वारा जारी किये गये।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 05.12.24

SHEET NO. 01

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
SITE PLAN

1	SITE AREA=	[redacted] SQM (1310.37)
2	STANDARD BAR=	2
		[redacted] 2620.74 SQ.M.
3	ACHIEVED BAR=	4864.93 SQM
		[redacted] 3.71
4	SET-BACKS	
	FRONT-	12.19 M
	SIDES-	8.8 M
	REAR-	8.8 M
5	PERMISSIBLE HEIGHT=	39.65 M
6	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE	WITHIN SETBACK
		255.57 SQM
7	ACHIEVED GROUND COVERAGE=	255.57 SQM
8	REQUIRED GREEN AREA=	
	ON OPEN GROUND=	10%
		[redacted] 131.04 SQ.M.
9	PROVIDED GREEN AREA	
	ON OPEN GROUND=	[redacted] 10.13 %
		132.78 SQM
10	REQUIRED CLUB AREA=	2% OR 50 SQM WHICHEVER IS MINIMUM
		95.94 SQM
	PERMISSIBLE CLUB AREA=	5% MAX
		239.84 SQM
11	PROVIDED CLUB AREA (GYM AND MUTIPIUPOSE HALL) =	4.32%
		210.14 SQM

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भाँति प्रस्तुत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

12	PARKING CALCULATION		
	REQUIRED		
A.	**FOR RESIDENTIAL**		
	REQUIRED PARKING=	BAR/115	
		42.30	ECU
	10% VISITORS WITH EV CHARGING POINT	4.23	
	TOTAL ECU=	46.53	ECU
	NO. OF CARS(75%)	34.90	CARS
	NO. OF TWO WHEELERS(25% X 3)	34.90	TWO WHEELERS
	TOTAL REQUIRED CARS=	**35**	
	TOTAL REQUIRED TWO WHEELERS=	**35**	

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
SITE PLAN

DATE :07-01-2025

SCALE:- 1:100

NORTH :

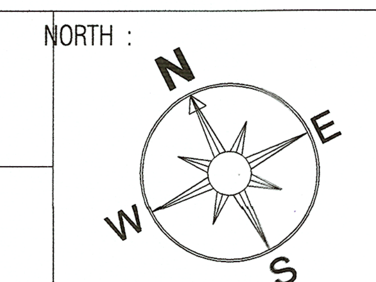

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. A-22. MOTI DOONGRI SCHEME JAIPUR , RAJASTHAN

FLOOR	BLOCK AREA [a]	DEDUCTION: CUT-OUT [b]	DEDUCTION: LIFT-CUT OUTS [c]	DEDUCTION: FIRE STAIR [d]	DEDUCTION: FIRE LOBBY CORRIDOR [e]	DEDUCTION: ELEVATION ELEMENTS [f]	BAR [a-b-c-d-e-f]	GBUA[a-b-c]
BASEMENT	311.85	0	0	0		0	283.74	311.85
STILT	467.73	0	6.71	30.74		0	69.65	467.73
GROUND FLOOR	463.33	2.06	12.88	24.54	10.17	3.54	410.14	448.39
1st FLOOR	463.33	2.06	12.88	24.54	10.17	3.54	410.14	448.39
2nd FLOOR	463.33	2.06	12.88	24.54	10.17	3.54	410.14	448.39
3rd FLOOR	463.33	2.06	12.88	24.54	10.17	3.54	410.14	448.39
4th FLOOR	463.33	2.06	12.88	24.54	10.17	3.54	410.14	448.39
5th FLOOR	463.33	2.06	12.88	24.54	10.17	3.54	410.14	448.39
6th FLOOR	463.33	2.06	12.88	24.54	10.17	3.54	410.14	448.39
7th FLOOR	463.33	2.06	12.88	24.54	10.17	3.54	410.14	448.39
8th FLOOR	463.33	2.06	12.88	24.54	10.17	3.54	410.14	448.39
9th FLOOR	463.33	2.06	12.88	24.54	10.17	3.54	410.14	448.39
10th FLOOR	463.33	2.06	12.88	24.54	10.17	3.54	410.14	448.39
TERRACE	82.3	0		0			0	82.3
TOTAL	5958.51						4864.93	5794.17

PROVIDED PARKING

	CARS	SCOOTERS
STILT	6	27
OPEN	25	8
MECHANICAL	4	0
TOTAL PROVIDED CARS=		35
TOTAL PROVIDED SCOOTERS=		35

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर

उप नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

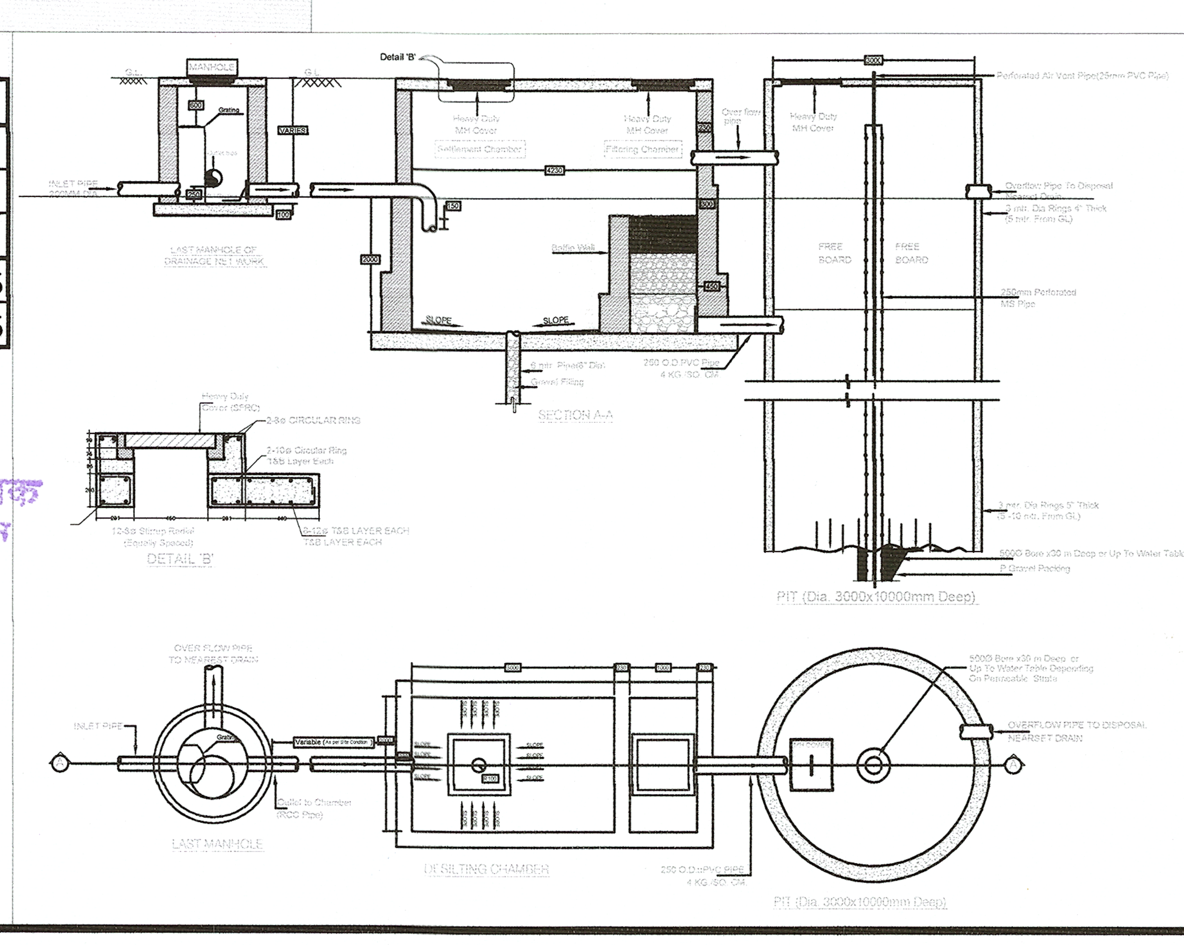

ARCHITECT :

m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.

Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme,
Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

For UPASNA INFRA LLP
Auth. Signatory
OWNER

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442
ARCHITECTS

यह मानचित्र पत्र क्र. 08
दि. 13.1.25 के द्वारा जारी किये गये।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 05.12.24

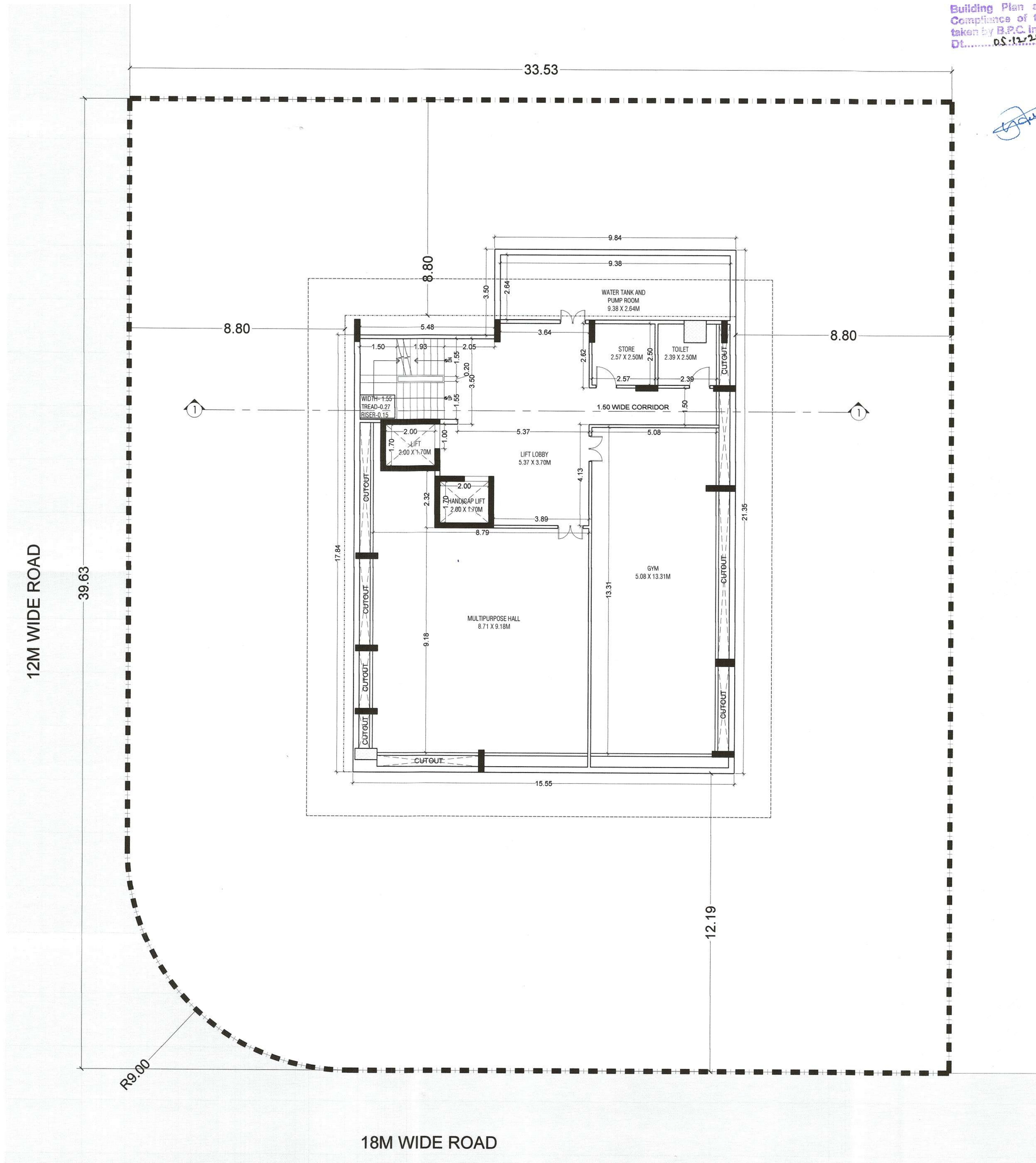

SHEET NO. 02

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
BASEMENT FLOOR PLAN

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवाऐं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
BASEMENT FLOOR PLAN

DATE :07-01-2025

SCALE:- 1:100

NORTH :
N E S W

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. A-22, MOTI DOONGRI SCHEME JAIPUR , RAJASTHAN

ARCHITECT :
m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442

For UPASNA INFRA LLP
OWNER
Auth. Signatory

ARCHITECTS

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

उप नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्र. 08 दि 13.01.25 के द्वारा जारी किये गये।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt 05.12.24

SHEET NO. 03

TITLE:- SUBMISSION DRAWING STILT FLOOR PLAN

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

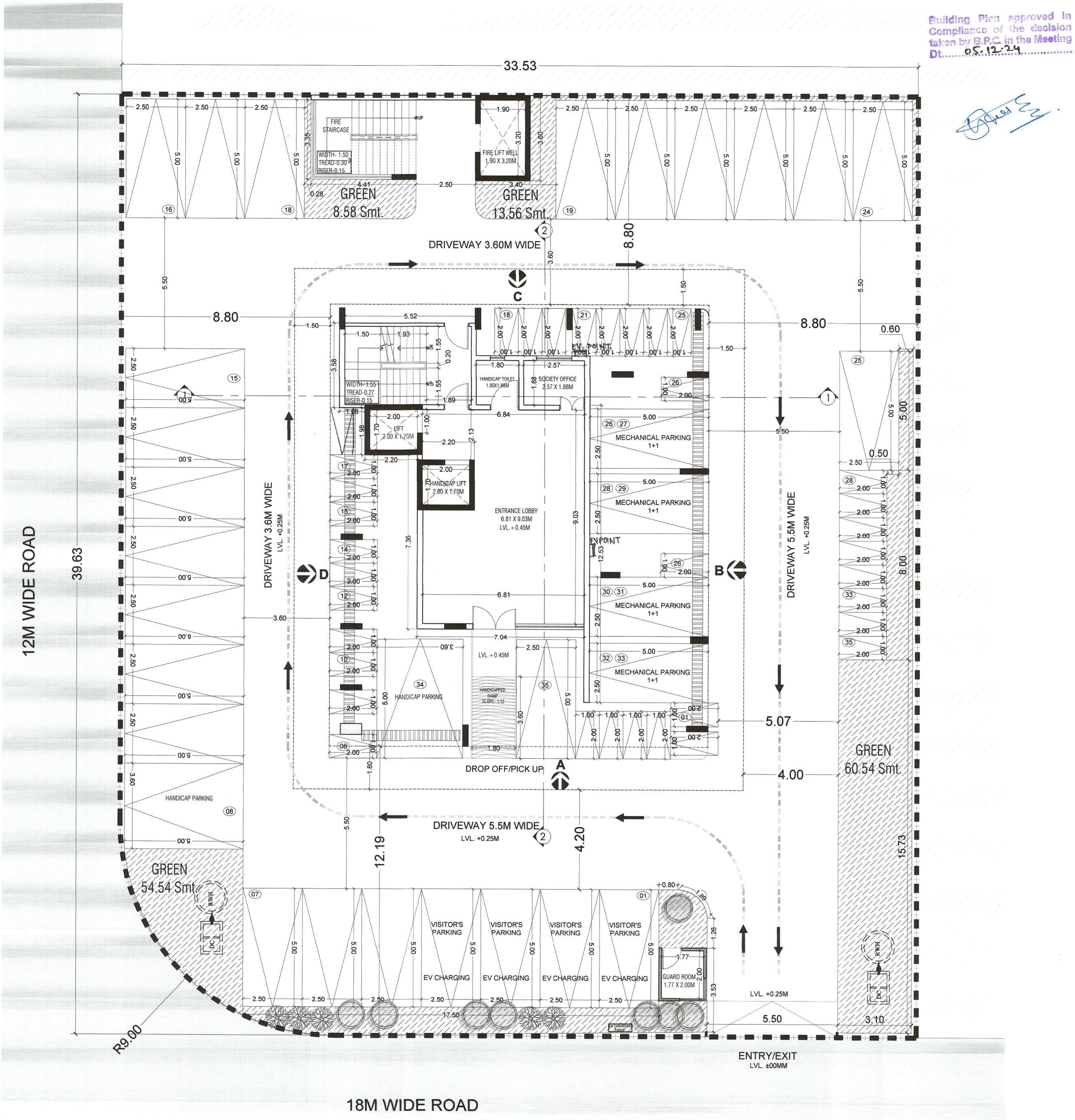

TITLE:- SUBMISSION DRAWING STILT FLOOR PLAN

DATE :07-01-2025

SCALE:- 1:100

NORTH

PROJECT:- PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. A-22. MOTI DOONGRI SCHEME JAIPUR , RAJASTHAN

ARCHITECT :
m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442

सहायक नगर नियोजक नगर निगम, जयपुर

उप नगर नियोजक जयपुर नगर निगम जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक जयपुर नगर निगम जयपुर

उपायुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर

OWNER — For UPASNA INFRA LLP Auth. Signatory

ARCHITECTS

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्र. 08
दि. 13-1-25 के द्वारा जारी किये गये।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 05-12-24

SHEET NO. 04

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
[redacted] TYPICAL FLOOR PLAN
GROUND TO 9TH

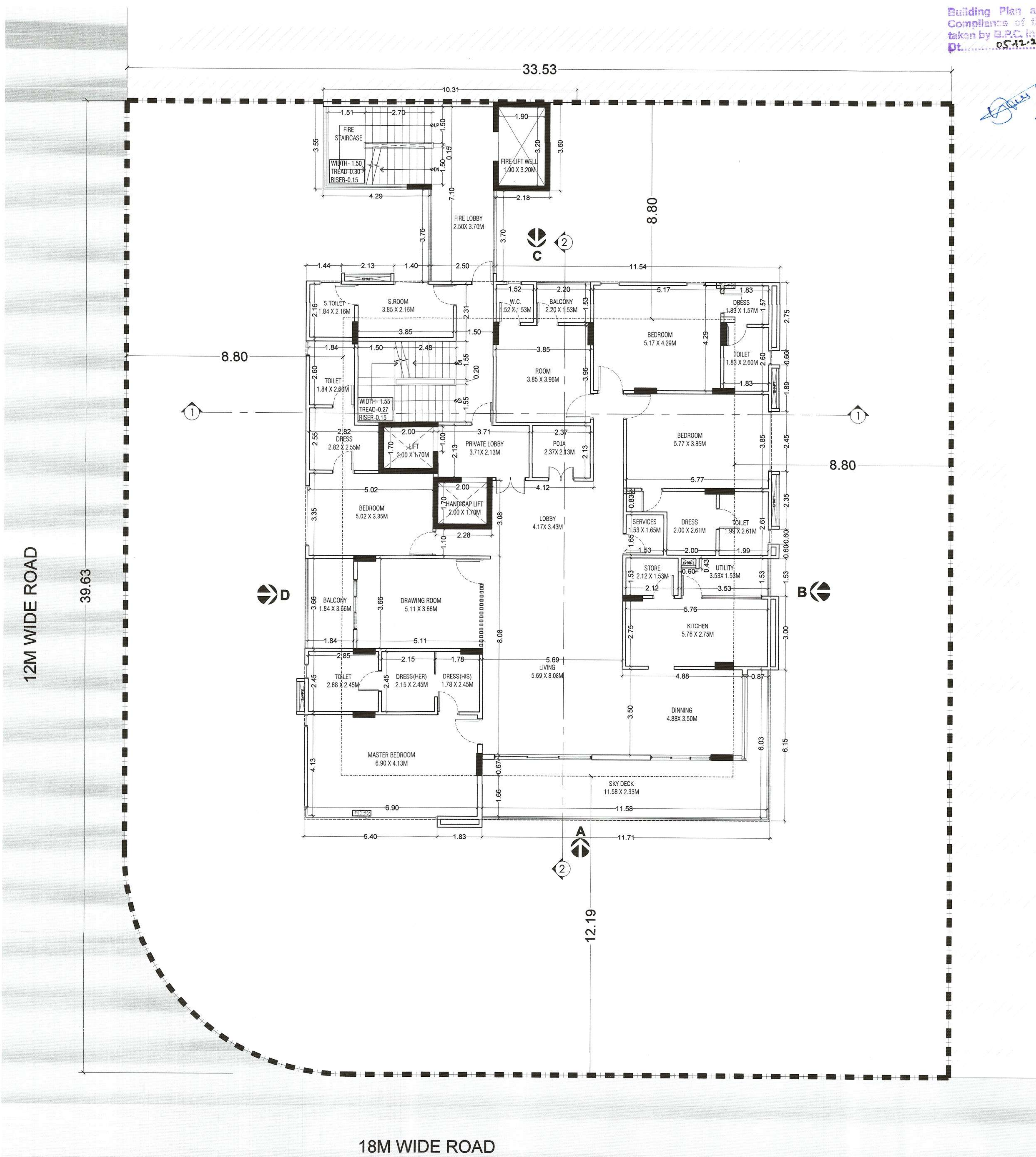

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रस्तावित भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व के प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
GROUND TO 9th TYPICAL FLOOR PLAN

DATE :07-01-2025

SCALE:- 1:100

NORTH
N E S W

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. A-22. MOTI DOONGRI SCHEME JAIPUR , RAJASTHAN

ARCHITECT :
m|a| architects pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme,
Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442

सहायक नगर नियोजक नगर निगम जयपुर

उप नगर नियोजक जयपुर नगर निगम जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक जयपुर नगर निगम जयपुर

उपायुक्त (आयोजना) नगर निगम, जयपुर

For UPASNA INFRA...
Auth. Signatory
OWNER

ARCHITECTS

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्र. 08
दि. 13-01-25 के द्वारा जारी किये गये।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 05-12-24

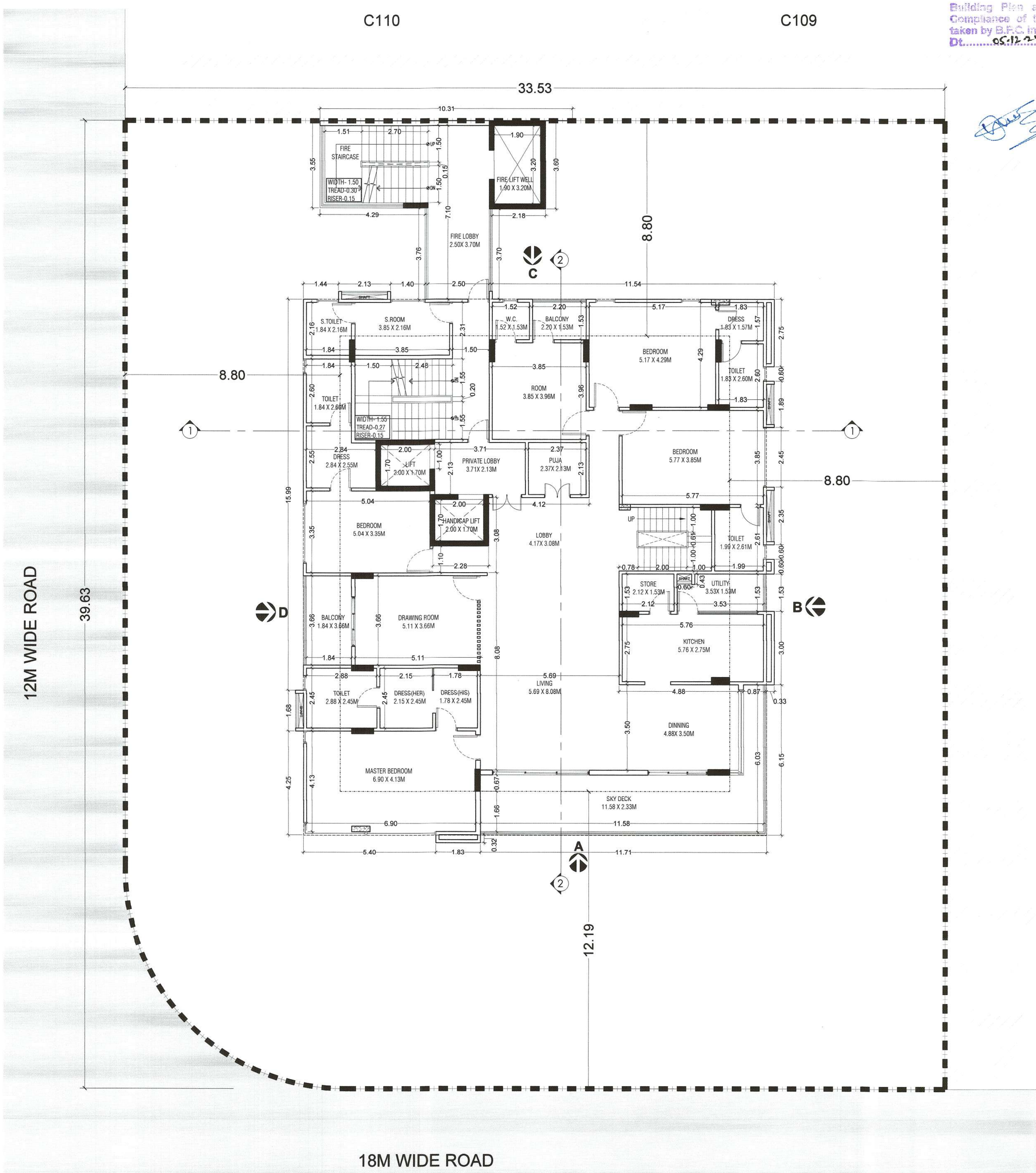

SHEET NO. 05

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
10th FLOOR PLAN

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी व्यक्ति विशेष भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जायें।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल निकास सेवायें नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
10th FLOOR PLAN

DATE :07-01-2025

NORTH :

SCALE:- 1:100

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. A-22. MOTI DOONGRI SCHEME JAIPUR , RAJASTHAN

ARCHITECT :
m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme,
Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442

For UPASNA INFRA LLP
Auth. Signatory
OWNER

ARCHITECTS

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर

उप नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

अनुमोदित

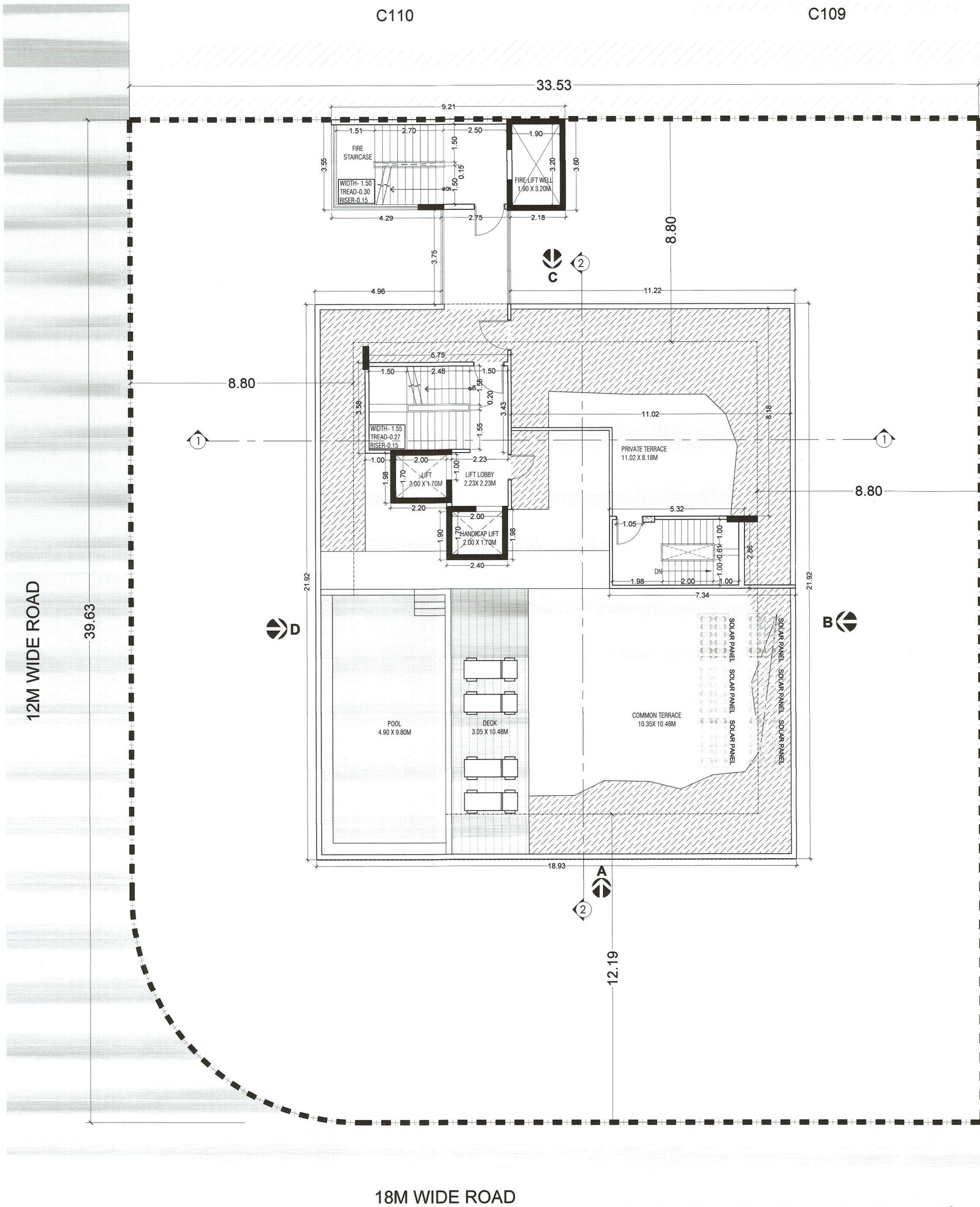

यह मानचित्र पत्र क्रं. 08
दि. 13.01.25 के द्वारा जारी किये गये।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 05.12.24

विद्युत सेवा, जलकासी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

SHEET NO. 06

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
TERRACE FLOOR PLAN

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व के प्रमाण - पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
TERRACE FLOOR PLAN

DATE :07-01-2025

SCALE:- 1:100

NORTH :

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. A-22. MOTI DOONGRI SCHEME JAIPUR , RAJASTHAN

ARCHITECT :
m|a|architects pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर

उप नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

For UPASNA INFRA LLP
Auth. Signatory
OWNER

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442
ARCHITECTS

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्रं. 08
दि. 13.01.25 के द्वारा जारी किये गये।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 05.12.24

SHEET NO. 07

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
[redacted] - A
ELEVATION

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि / भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण - पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत रोशनी, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

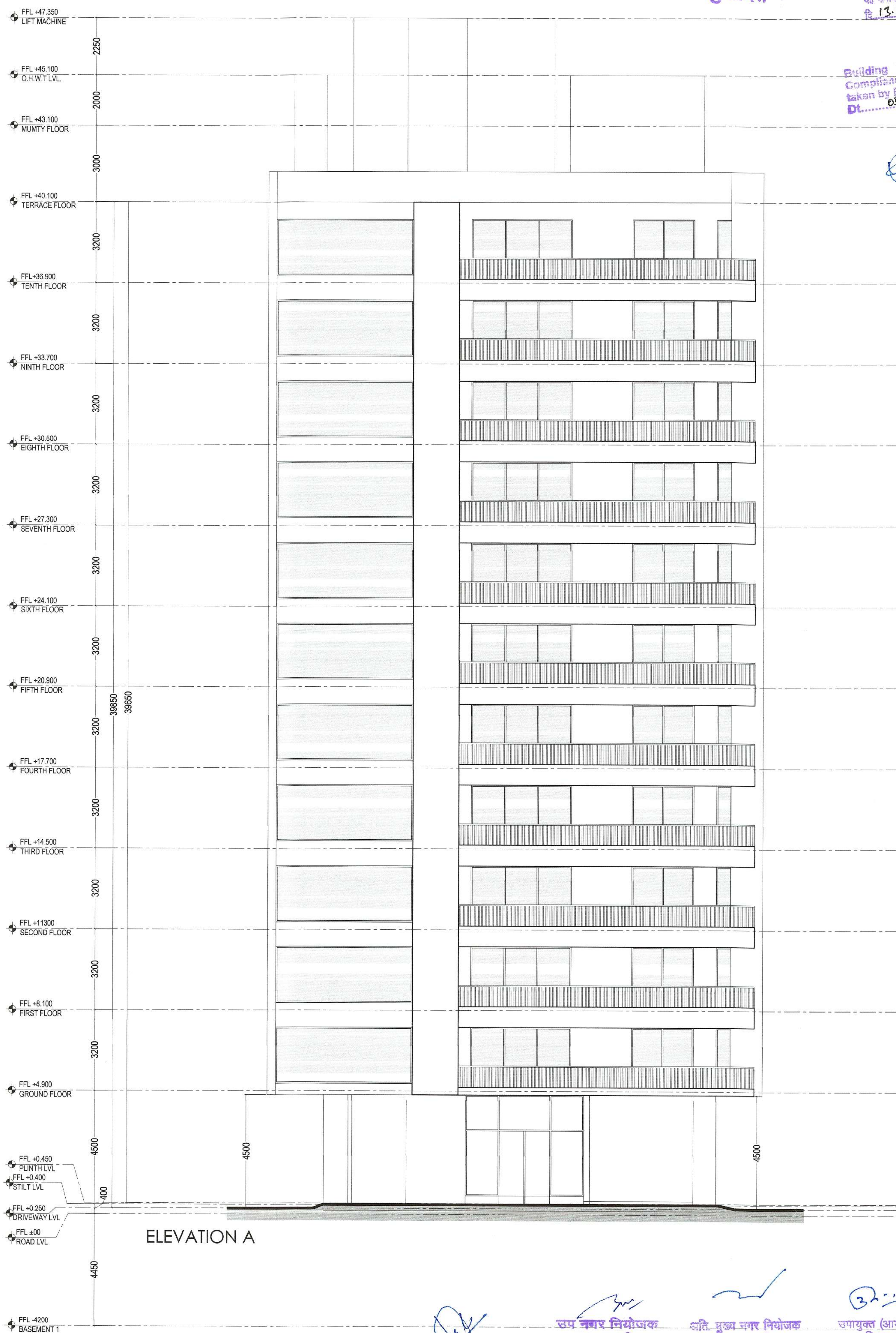

ELEVATION A

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
ELEVATION A

DATE :07-01-2025

NORTH :

SCALE:- 1:100

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. A-22. MOTI DOONGRI SCHEME JAIPUR , RAJASTHAN

ARCHITECT :
m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme, Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442

For UPASNA INFRA LLP
Auth. Signatory

OWNER | ARCHITECTS

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

उप नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्रं. 08
दि. 13.01.25 के द्वारा जारी किये गये।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 05.12.24

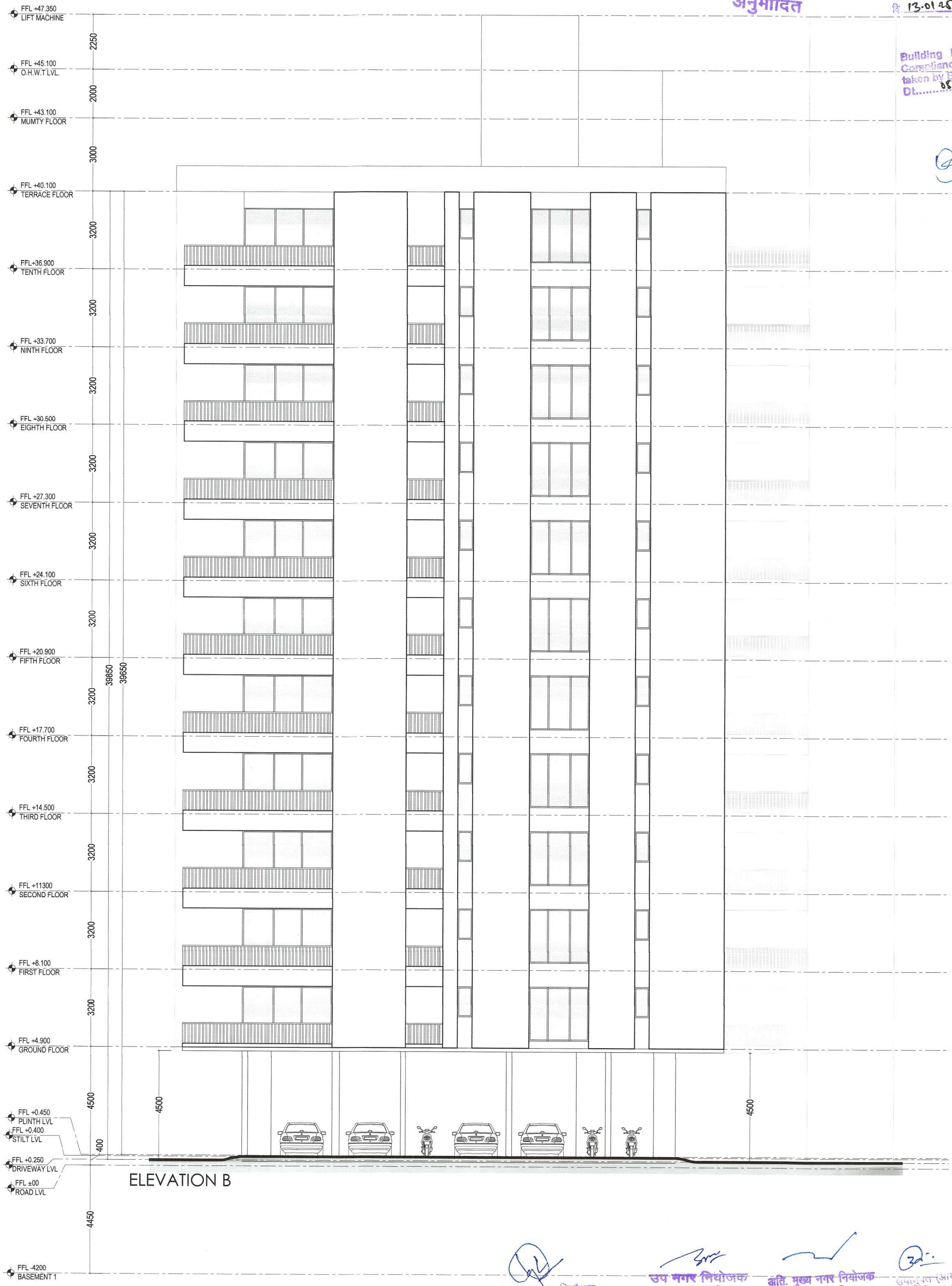

ELEVATION B

SHEET NO. 08

TITLE:-

SUBMISSION DRAWING

[redacted]

ELEVATION - B

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रस्तावित भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण - पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

TITLE:-

SUBMISSION DRAWING
ELEVATION B

DATE :07-01-2025

NORTH :

SCALE:- 1:100

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. A-22. MOTI DOONGRI SCHEME JAIPUR , RAJASTHAN

ARCHITECT :

m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.

Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme,
Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर

उप नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

For UPASNA INFRA LLP
Auth. Signatory

OWNER

ARCHITECTS

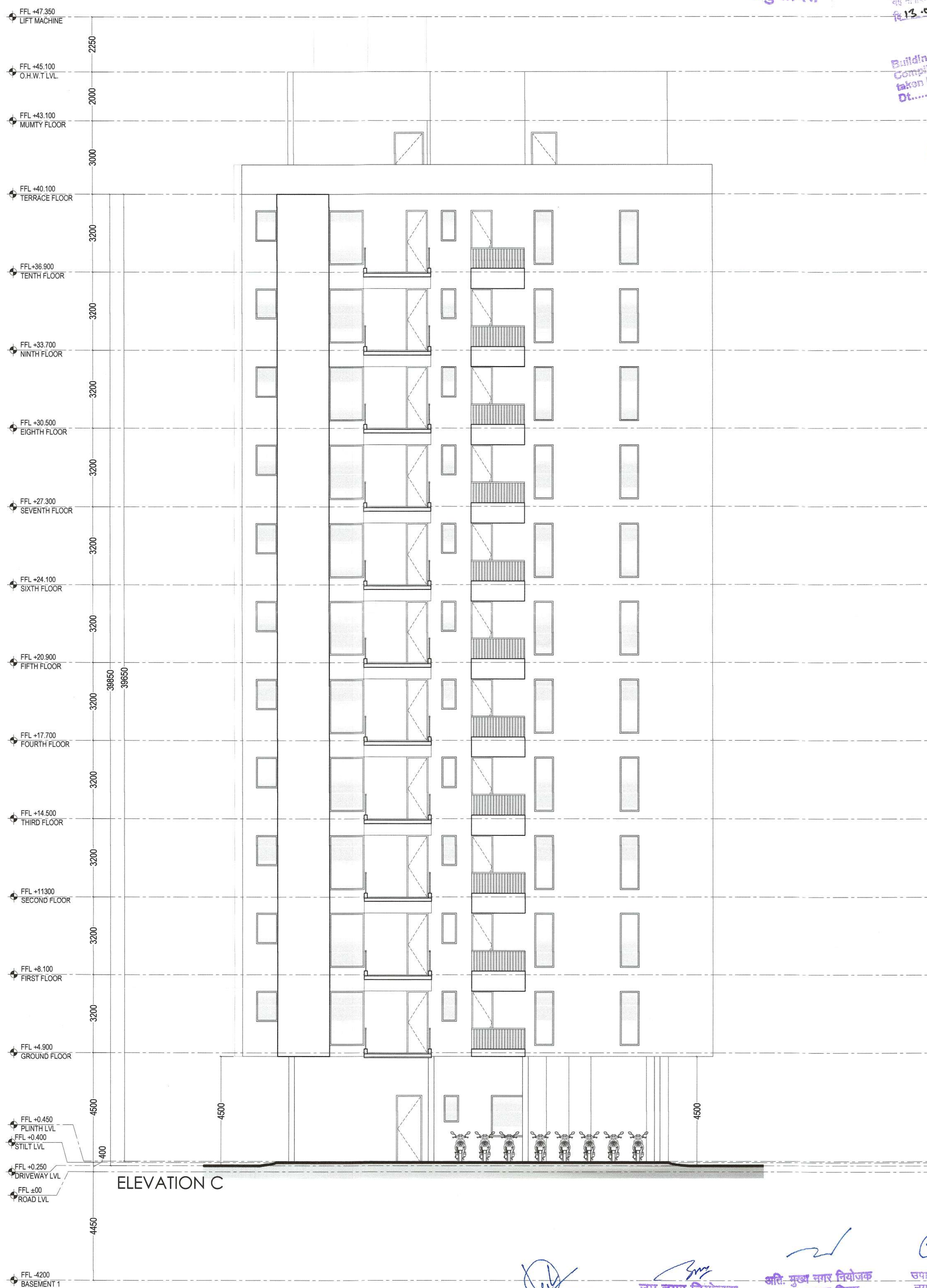

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्र. 08 दि. 13.01.25 के द्वारा जारी किये गये।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 05.12.24

SHEET NO. 09

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
ELEVATION-C

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व के प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होगी।

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
ELEVATION C

DATE :07-01-2025

NORTH :

SCALE:- 1:100

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. A-22. MOTI DOONGRI SCHEME JAIPUR , RAJASTHAN

ARCHITECT :
m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme,
Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442

For UPASNA INFRA LLP
Auth. Signatory
OWNER

ARCHITECTS

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर

उप नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

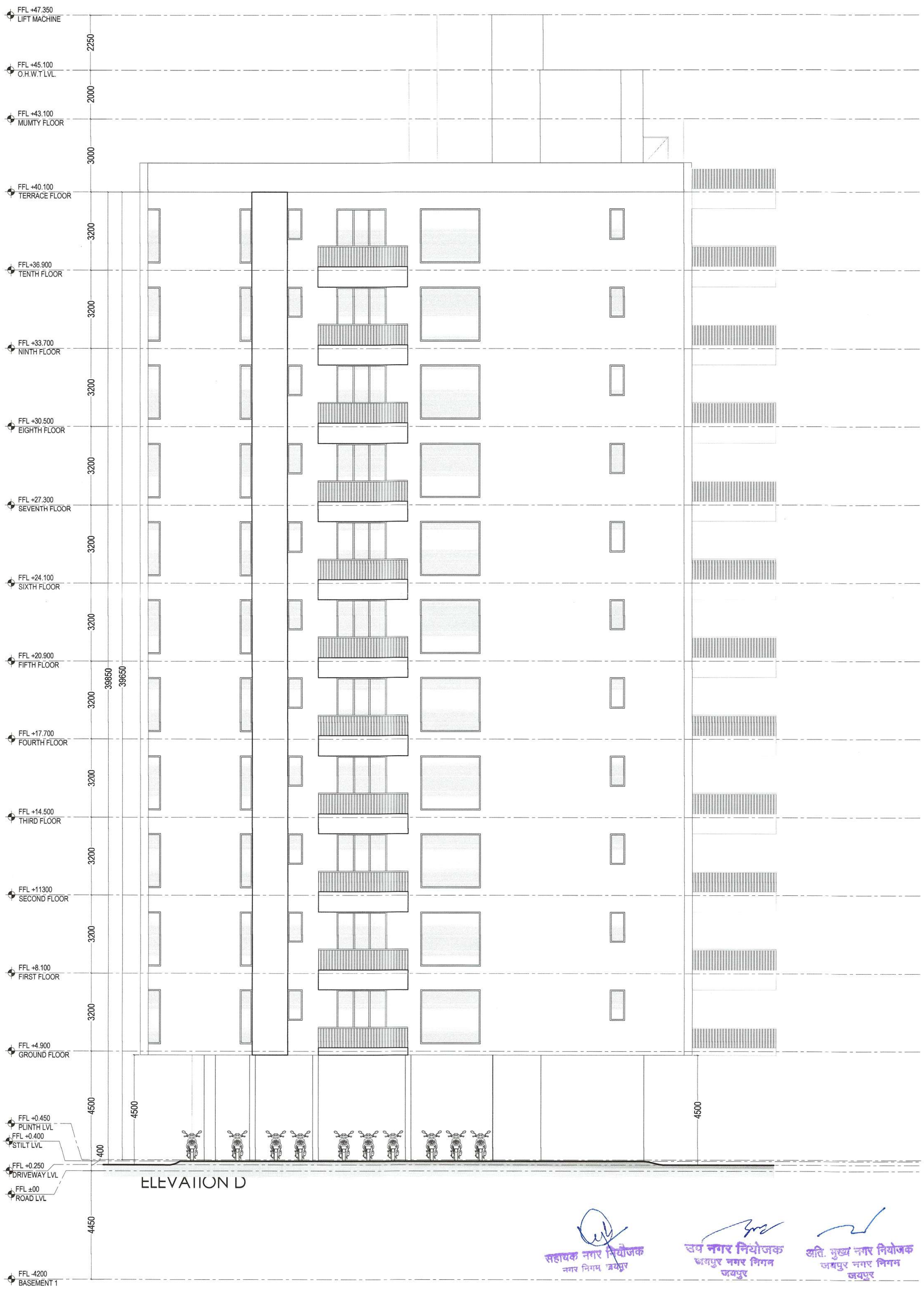

अनुमोदित

पत्र क्र. 08
13-01-25

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 05.12.24

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर

उप नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

SHEET NO. 10

TITLE:-

SUBMISSION DRAWING ELEVATION-D

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि / भूखण्ड के प्रति स्वामित्व के प्रमाण - पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इसमें किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

TITLE:-

SUBMISSION DRAWING ELEVATION -D

DATE :07-01-2025

NORTH :

SCALE:- 1:100

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. A-22. MOTI DOONGRI SCHEME JAIPUR , RAJASTHAN

ARCHITECT :

m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme,
Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

For UPASNA ...
Auth. Signatory
OWNER

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442

ARCHITECTS

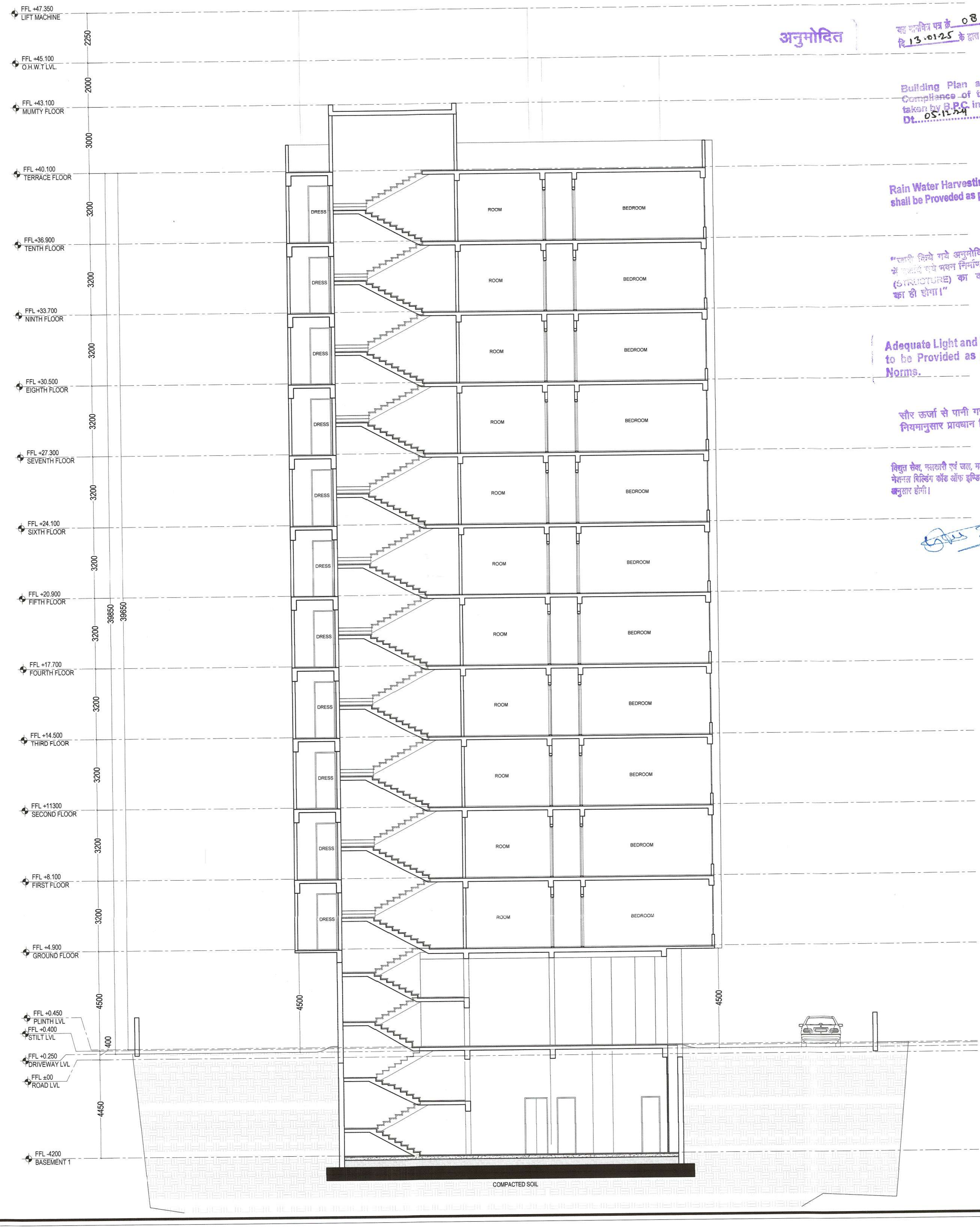

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्रं 08
दि 13.01.25 के द्वारा जारी किये गये।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 05.12.24

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

SHEET NO. 11

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
SECTION -1

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम जयपुर

उप नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

TITLE:-
SUBMISSION DRAWING
SECTION - 1

DATE :07-01-2025	NORTH :
SCALE:- 1:100	

PROJECT:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT PLOT NO. A-22. MOTI DOONGRI SCHEME JAIPUR , RAJASTHAN

ARCHITECT :
m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme,
Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442

For UPASNA INFRA LLP
Auth. Signatory
OWNER

ARCHITECTS

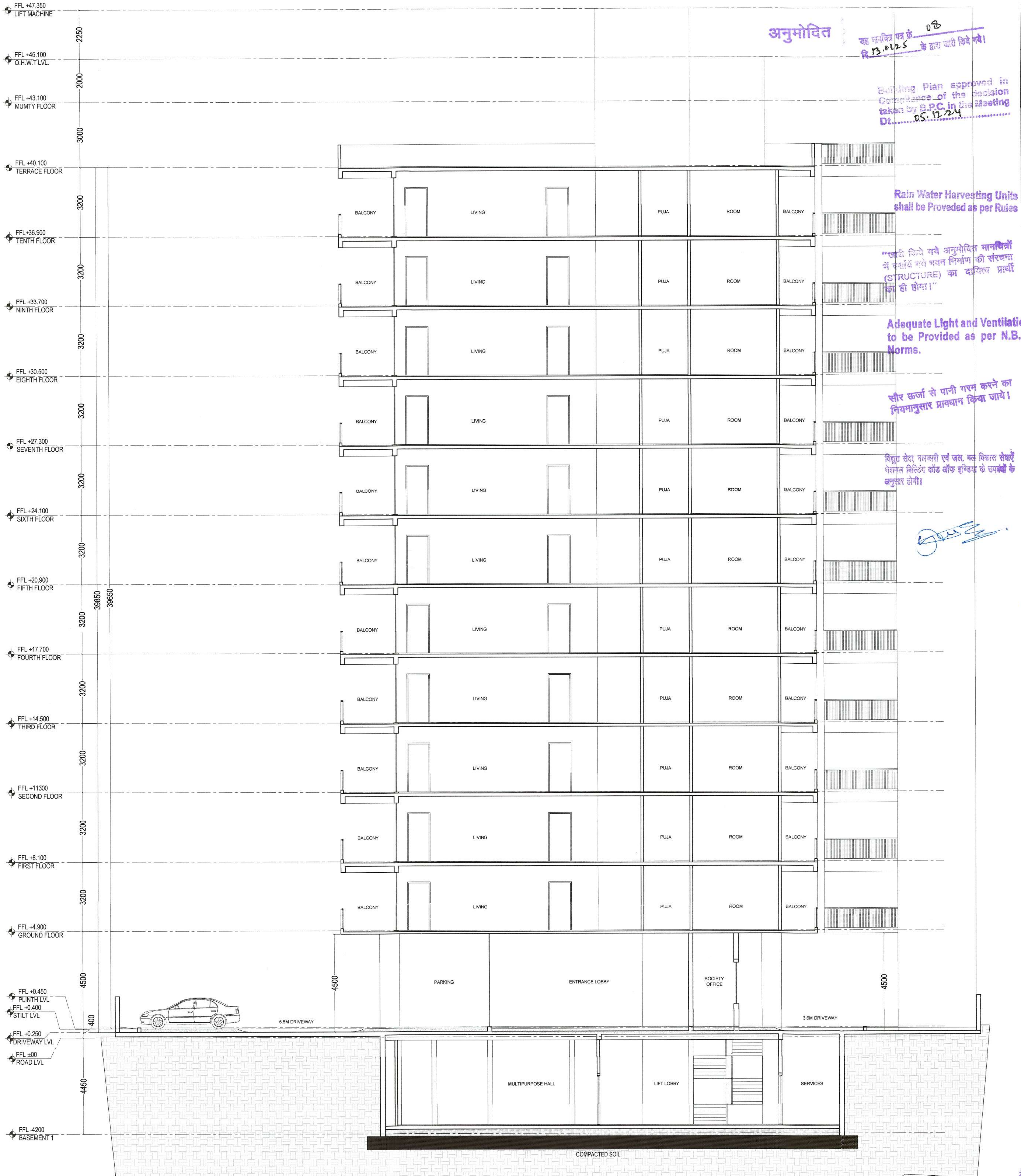

अनुमोदित

यह मानचित्र पत्र क्रं. 08 दि 13.01.25 के द्वारा जारी किये गये।

Building Plan approved in Compliance of the decision taken by B.P.C. in the Meeting Dt. 05.12.24

Rain Water Harvesting Units shall be Proveded as per Rules

"जारी किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (STRUCTURE) का दायित्व प्रार्थी का ही होगा।"

Adequate Light and Ventilation to be Provided as per N.B.C. Norms.

सौर ऊर्जा से पानी गरम करने का नियमानुसार प्रावधान किया जाये।

विद्युत सेवा, नलकारी एवं जल, मल विकास सेवाएँ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के उपबंधों के अनुसार होंगी।

SHEET NO. 12

TITLE:-

SUBMISSION DRAWING
SECTION -2

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी भांति प्रश्नगत भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व के प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही इससे किसी के स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार ही प्रभावित होंगे।

THESE PLANS ARE VALID ONLY UPTO SEVEN YEARS FROM DATE OF ISSUE.

पार्किंग क्षेत्र का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जावेगा।

FIRE SAFETY PROVISIONS SHALL BE KEPT AS PER NATIONAL BUILDING CODE

सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, जयपुर

उप नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

अति. मुख्य नगर नियोजक
जयपुर नगर निगम
जयपुर

उपायुक्त (आयोजना)
नगर निगम, जयपुर

TITLE:-

SUBMISSION DRAWING
SECTION - 2

DATE :07-01-2025

NORTH :

SCALE:- 1:100

PROJECT:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT
PLOT NO. A-22. MOTI DOONGRI SCHEME
JAIPUR , RAJASTHAN

ARCHITECT :

m|a| a r c h i t e c t s pvt. ltd.
Jaipur - Bangalore - Hyderabad
Plot No. -1, Greenwoods, Lal Kothi Scheme,
Sahkar Marg Jaipur-302001
Tel : 91 141 4299999
email - studio@maarchitects.in,
web - www.maarchitects.in

Ar. Amit Singhal
B. Arch.
CA/2006/38442

For UPASNA INFRA LLP
Auth. Signatory

OWNER

ARCHITECTS